180

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2465—तीन/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—03—2002 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 67/1999—97/अपील

.....

1— राधाकृष्ण

2— हरकृष्ण, पुत्रगण श्री विचारण मित्र

निवासीगण—अटेर, जिला—भिण्ड(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— छदामोलाल

2— पोथोराम, पुत्रगण श्री आदिराम काछी

निवासी— खांदकापुरा, तहसील अटेर

जिला—भिण्ड(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 27/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—03—2002 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अपर आयुक्त के आदेश में लिखे होने से उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जाता है।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि को किसी प्रकार अनुबंध को आवेदकगण के पत्र में निष्पादित नहीं हुआ है। आवेदकगण मात्र वर्ष 1975 में कब्जे के आधार पर भूमि स्वामी घोषित होकर भूमिस्वामी के रूप में खसरों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते है। आवेदकगण का ऐनकेन प्रकारेण भूमिस्वामी बन जावे, यही प्रयास रहा है । यदि भूमिस्वामी और आवेदकगण के बीच किसी प्रकार कोई अनुवंध या पट्टा होता तो निश्चित रूप से आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं न्यायालय अपर आयुक्त में प्रस्तुत करते। इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन में यह बताया गया कि आवेदकगण द्वारा 15 गुना लगान का भुगतान किया जा चुका है, किन्तु लगान का 15 गुना जमा होने का कोई प्रमाण प्रकरण में नहीं है । इस तरह से विचारण न्यायालय ने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी अटेर द्वारा भी अपील को निरस्त किये जाने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। कलेक्टर भिण्ड द्वारा निगरानी निरस्त करने में तथा अनुविभागीय अधिकारी अटेर द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने में कोई भूल नहीं की गई है। अतः कलेक्टर भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.95 तथा अनुविभागीय अधिकारी अटेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.96 को अपर आयुक्त ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना करते हुये यथावत रखा है । अतः चारों अधीनस्थ

न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर